न्यायालय–चेतना दशोरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चांचौडा जिला गुना (म.प्र.)

//निर्णय //

(आज दिनांक 25.11.2023 को घोषित किया गया)

रजिस्ट्रेशन नंबर :– RCT/590/2022
फाइलिंग नम्बर :– RCT/1348/2022
सी.एन.आर.क्र. :– MP08070015232022
संस्थित दिनांक :– 27-10-2022

पुलिस थाना मृगवास, तहसील चाचौडा जिला गुना के अपराध क्रमांक 263/2022 अपराध अंतर्गत धारा 34(1) एवं 49(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

अभियोगी	म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना मृगवास, जिला गुना म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जितेन्द्र दांगी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	राजू पुत्र कमरलाल माली, उम्र–29 वर्ष, निवासी– ग्राम मृगवास, पुलिस थाना मृगवास, जिला गुना म.प्र।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विनोद सेन अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	17.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	17.09.2022
आरोप–पत्र की तारीख	27.10.2022
आरोपों की विरचना की तारीख	07.02.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	17.02.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	21.11.2023
निर्णय की तारीख	25.11.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धरा 428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

1	राजू पुत्र कमरलाल माली	17.09.22	25.11.23	धारा 49(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम	दोषमुक्त	—	434 दिवस

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	जालमसिंह	पंच साक्षी
अ.सा.2	आलोक रघुवंशी	पुलिस साक्षी
अ.सा.3	विवेचक एच.एल. चौरसिया	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/अ.सा.1	जप्ती पंचनामा
2	प्रदर्श पी. 2/अ.सा.1	गिरफ्तारी पंचनामा

3	प्रदर्श पी. 3 /अ.सा.1	पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी.4 /अ.सा.3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी. 5 एवं 6 /अ.सा.3	रोजनामचा रवानगी एवं वापिसी

ख. प्रतिरक्षा :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुए :

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
एक सफेद केन में जप्तशुदा कच्ची जहरीली शराब 5 लीटर आर्टिकल ए 1		

01. अभियुक्त राजू माली पर धारा 49(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 17.09.2022 को समय 12:10 बजे से 12:30 बजे के मध्य स्थान गल्ला मंडी मृगवास अंतर्गत थाना मृगवास में अपने आधिपत्य में बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की सफेद रंग की केन में हाथ भट्टी की 5 लीटर मानव सेवन हेतु अनुपयुक्त जहरीली शराब रखे पाये गये।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि होरीलाल चौरसिया थाना मृगवास में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 17.09.2022 को दौराने कस्बा भ्रमण मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की केन सफेद रंग की पांच लीटर की देशी हाथ की भट्टी की बनी जहरीली कच्ची शराब लिये बेचने के फिराक में गल्ला मंडी मृगवास में खडा है। मुखबिर की सूचना पर मय फोर्स व राहगीर पंचान जालमसिंह भील को साथ लिया एवं मुखबिर की सूचना से अवगत कराया मय फोर्स मय साक्षी के गल्ला मंडी पहुंचा तो एक व्यक्ति वहां पर एक प्लास्टिक की सफेद रंग की 5 लीटर की केन लिये हुये दिखा जो पुलिस की गाडी को देखकर भागने की कोशिश की जिसे फोर्स व साक्षी की मदद से पकडा नाम पता पूछा तो अपना नाम राजू पुत्र कमरलाल माली, उम्र–28 साल, निवासी–मृगवास, का होना बताया। उक्त व्यक्ति अपने हाथ में लिये हुये केन को पुलिस कब्जे में लेकर उक्त केन का ढक्कन खोलकर सूंघा गया व पंचों को सुंघाया जिसमें से तीखी एवं मिचलाने वाली देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब की गंध आ रही थी। हमराह फोर्स एवं राहगीर

साक्षीगण जालमसिंह भील को सुंघाया तो अनुभव के आधार पर उक्त देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब व जहरीली शराब होना पायी गयी। चूंकि उक्त शराब जहरीली शराब थी, मानव जीवन संकटापन्न न हो इसलिये उक्त शराब को चख कर एवं चखाकर पहचान नहीं की गई। आरोपी से भी पूछा तो उसने उक्त शराब व जहरीली शराब होना पायी गई। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 34 (1) एवं 49(क) आबकारी अधिनियम का पाया जाने से राहगीर पंचनाम जालमसिंह के समक्ष उक्त शराब को विधिवत् जप्त की एवं मौके पर सीलबंद की गई एवं मौके पर जप्ती चिट तैयार कर प्लास्टिक की केन पर चस्पा की जाकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद मौके की संपूर्ण कार्यवाही कर मय गिरफ्तार शुदा आरोपी व जप्तशुदा माल के हमराह फोर्स के मय शासकीय वाहन के थाना वापिस अया। जप्तशुदा माल जमा मालखाने मे किया एवं अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. **<u>प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार हैं</u>** :–

(1) क्या अभियुक्त राजू माली द्वारा दिनांक 17.09.2022 को समय 12:10 बजे से 12:30 बजे के मध्य स्थान गल्ला मंडी मृगवास अंतर्गत थाना मृगवास में अपने आधिपत्य में बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की सफेद रंग की केन में हाथ भट्टी की 5 लीटर मानव सेवन हेतु अनुपयुक्त जहरीली शराब रखे पाये गये?

(2) निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश ?

–: **<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 पर सकारण निष्कर्ष</u>**:–

04. विवेचक साक्षी एच.एल चौरसिया (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 17.09.2022 को थाना मृगवास में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दौराने कस्बा भ्रमण की सूचना मिली कि गल्ला मंडी में एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की सफेंद रंग की केन में जहरीली शराब लिये बेचने के लिये खडा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु आरक्षक आलोक रघुवंशी एवं साक्षी जालमसिंह को हमराह लेकर गल्ला मंडी में एक व्यक्ति सफेद केन लिये दिखा जो उन्हें देखकर भागने लगा, जिसको घेराबंदी करके पकडा। उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजू माली होना बताया। उसके पास जो केन थी, उसका ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें से जहरीली शराब की गंध आ रही थी। समस्त पंचान उक्त आरोपी से जहरीली शराब से भरी लगभग 5 लीटर केन जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी. 1 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। आरोपी राजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी. 2 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। मौके से कार्यवाही करके आरोपी मुद्देमाल सहित थाना आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 263/22 धारा 34 (1) एवं 49(1) आबकारी अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। उस दिन का रवानगी एवं वापिसी सान्हा थाना क्रमशः प्रदर्श पी. 5 एवं प्रदर्श पी. 6 है, जिनके ए से ए भागों पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। उक्त साक्षी का अपनी साक्ष्य में आगे यह भी कहना है कि न्यायालय में प्रस्तुत जप्तशुदा मुद्देमाल कच्ची

जहरीली शराब से भरी केन आर्टिकल ए 1 वही है, जो उसने अभियुक्त से जप्त की थी। आर्टिकल ए 1 के ढक्कन पर एक कागज चिपका हुआ है जिस पर आबकारी उपनिरीक्षक की सील एवं हस्ताक्षर है। उक्त केन पर चपडी सील चस्पा नहीं है।

05. अभियोजन साक्षी जालमसिंह (अ.सा.1) ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजू माली को नहीं जानता है। पुलिस ने उसके सामने कोई समान जप्त नही किया था। परंतु प्रदर्श पी. जप्ती पत्रक 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी. 2 के ए से ए भागों के मध्य उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर इस तथ्य से इंकार किया है कि दिनांक 17.09.2022 को दोपहर के साढे बजे वह मृगवास में सौदा खरीदने गया था तभी बस स्टेण्ड के पास में चौरसिया द्वारा उसे बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये खडा है। उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह दरोगाजी के साथ मृगवास में गल्ला मंडी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति दरोगाजी को देखकर भागने लगा। उक्त साक्षी ने यह इस तथ्य से इंकार किया है कि उक्त व्यक्ति को दरोगाजी के साथवाले सिपाहियों ने दौडकर पकडा। उक्त इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र कंवरलाल माली होना बताया। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि दरोगाजी ने उक्त व्यक्ति की सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी को अपने हाथ में लेकर उसका ढक्कन खोलकर उसे एवं अन्य सिपाहियों को सुंघाया जिसमें से तीखी गंध आ रही थी। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन कहानी का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अपने पुलिस कथन प्रपी 3 के महत्वपूर्ण अंश को अस्वीकार किया है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को लाभ प्राप्त नहीं होता है।

06. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वतंत्र साक्षी जालमसिंह (अ.सा.1) के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा जप्तीकर्ता अधिकारी पुलिस कर्मी है। इस कारण से उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह सही है कि साक्षी जालमसिंह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है और जप्तीकर्ता अधिकारी पुलिस कर्मी है, किंतु किसी साक्षी के पुलिस कर्मी होने मात्र से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **न्यायदृष्टांत कमरजीत विरूद्ध स्टेट, (2003) 5 एस.सी.सी. 291** में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य को भी सामान्य साक्षी के साक्ष्य की तरह लेना चाहिए और यह उपधारणा की व्यक्ति इमानदारी से कार्य करता है। पुलिस के मामलों में भी लागू होता है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी के पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह अच्छी न्यायिक परिपाठी नहीं है कि बिना अच्छे आधारों के पुलिस कर्मचाकरीगण के साक्ष्य पर संदेह किया जावे। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत गिरजा प्रसाद विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 3106 एवं बाबूलाल विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2004 (2) जे.एल.जे. 425** भी अवलोकनीय है।

07. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **नाथूसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2783** में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि पंच साक्षीगण के पक्ष विरोधी हो जाने के बाद भी जप्तीकर्ता अधिकारी जो पुलिस के कर्मचारी है, उनकी साक्ष्य को इस आधार अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे पुलिस कर्मचारी है।

इस प्रकार साक्षी जालमसिह (अ.सा.1) की परिसाक्ष्य से अभियोजन मामले को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में साक्षीगण आलोक रघुवंशी (अ.सा.2) एवं विवेचक साक्षी एच.एल. चौरसिया (अ.सा.3) के न्यायालयीन कथनों का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाना अपेक्षित है।

08. अभियोजन साक्षी आलोक रघुवंशी (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 17.09.2022 को थाना मृगवास में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह ए.एस.आई. चौरसिया जी के साथ भ्रमण पर था। जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की केन में पांच लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बेचने के लिये गल्ला मंडी मृगवास के पास खडा है। फिर वे राहगीर पंचान जालमसिंह को लेकर गल्ला मंडी पहुंचे तो एक व्यक्ति हाथ में केन लिये खडा था जो हमे देखकर भागने लगा। फिर उन्होने उसको पकडा और नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजू माली होना बताया। उसके पास से केन का ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा तो उसमें कच्ची शराब की तीखी गंध आ रही थी। फिर चौरसियाजी ने उसके समक्ष राजू माली से उक्त केन को जिसमें लगभग पांच लीटर कच्ची शराब को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी. 1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। राजू माली को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी. 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। मौके से कार्यवाही करके मुद्दे माल थाने में जमा किया था।

09. अभियोजन साक्षी आलोक रघुवंशी (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह और ए.एस.आई. चौरसिया और आरक्षक विनोद बाथम तीनों भ्रमण पर थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना उसे प्राप्त नही हुई थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि वह अभियुक्त राजू माली से पूर्व से परिचित नही था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह मृगवास का रहने वाला है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के समय वह कस्बे पर था, वह थाने पर नहीं था। उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया कि शासकीय वाहन में वह आरक्षक विनोद और एएसआई चौरसिया के आलवा और कोई नही था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना के बाद घटनास्थल पर वे लोग 10–15 मिनिट बाद पहुंच गये थे। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह शराब की जानकारी के संबंध में कोई विशेषज्ञ नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जो केन में तरल पदार्थ था, उसमें तेज बदबू आ रही थी। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके वे लोग थाने लेकर आये थे।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि प्रकरण में नक्शामौका संलग्न नहीं है, मुखबिर सूचना पंचनामा नहीं बनाया है, मालखाना रजिस्टर, की प्रति संलग्न नहीं है। आर्टिकल ए 1 पर न तो चपडी सील चस्पा है और ना ही जप्ती चिट चस्पा है। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

11. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि साक्षीगण आलोक रघुवंशी (अ.सा. 2) एवं एच.एल. चौरसिया (अ.सा.3) का अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि

चौरसिया ने अभियुक्त से एक केन जिसमें लगभग पांच लीटर कच्ची शराब को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी. 1 बनाया था, अभियुक्त राजू माली को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पंचनामा प्रदर्श पी. 2 बनाया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी–2 जिसके बी से बी भाग पर साक्षी आलोक एवं सी से सी भाग पर होरीलाल चौरसिया के हस्ताक्षर है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी एच.एल. चौरसिया (अ.सा.3) का अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से ऐसा कहना नहीं है कि उसने मौके पर शराब को चपडी से सीलबंद किया था। उक्त दोनों साक्षीगण का अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से ऐसा कहना नहीं है कि उन्होने जप्तशुदा शराब को मौके पर चपडी से सीलबंद कर उस पर जप्तचिट चस्पा की थी एवं साक्षीगण का अपनी साक्ष्य में ऐसा भी कहना नहीं है कि जप्तशुदा शराब पर जप्ती चिट चस्पा कर उस पे हस्ताक्षर किये थे एवं अभियुक्त से हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त के अतिरिक्त जप्तीपत्रक प्रदर्श पी. 1 में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा शराब को मौके पर चपडी से सील बंद किया गया था और उस पर जप्तीचिट चस्पा की गई थी। अतः साक्षीगण के उक्त कथन से अभियोजन मामला संदेहास्पद दर्शित होता है।

12. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी एच.एल चौरसिया (अ. सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मालखाने में माल जमा करने पर मालखाना नंबर डलता है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए 1 पर थाने का मालखाना नंबर नहीं लिखा है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाने के मालखाने में माल जमा होता है तो उसकी एंट्री एच.सी.एम मालखाना रजिस्टर में करने है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाने पर मालखाना रजिस्टर संधारित करके रखा जाता है। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में मालखाना रजिस्टर की प्रति संलग्न नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जप्तशुदा मदिरा को एच.सी.एम. को सुपुर्द करने के संबंध में माल रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उसे प्रमाणित कराया गया है।

13. इस प्रकार जप्तशुदा आर्टिकल को जप्ती उपरांत थाने में किस अवस्था में एवं किसके पास रखा गया, इस संबंध में भी कोई यथोचित साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। दूसरे शब्द में यदि कहा जाए, तो जप्तशुदा बताई गयी मदिरा की सुरक्षित अभिरक्षा तथा जप्ती उपरांत अभिरक्षाओं की श्रृंखला के संबंध में कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से इस संदेह को निवारित करते हुए प्रस्तुत नहीं की गयी है कि जप्ती उपरांत आर्टिकल से कोई छेडछाड नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार **न्यायदृष्टांत विजय सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2005 क्रिमिनल लॉ.ज. 299** तथा **बेटा उर्फ राम किंकर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, आई.एल.आर. (2023) एम.पी. 1431** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां यह साबित न किया गया हो कि जप्ती उपरांत कहां और किस अवस्था में आर्टिकल को रखा गया था और इस संबंध में संबंधित माल रजिस्ट्रर की प्रति प्रस्तुत न की गयी हो, वहां यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि जप्ती उपरांत आर्टिकल को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया था।

14. उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी आलोक रघुवंशी (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के चरण 2 में यह स्वीकार किया है कि शासकीय वाहन में वह, आरक्षक विनोद और ए.एस.आई. चौरसिया जी के अलावा और कोई नहीं था परंतु उक्त के विपरीत साक्षी एच.एल. चौरसिया (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के चरण 2 में यह व्यक्त किया है कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर वह मृगवास थाने के

करीब था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि वह अकेला था। स्वतः कहा कि आरक्षक आलोक साथ में था। अतः उक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में आरक्षक विनोद उपस्थिति के संबंध में विरोधाभास दर्शित होता है।

15. उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी एच.एल. चौरसिया (अ.सा.3) ही जप्तीकर्ता अधिकारी है, उन्होंने ही पंचान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये है, वे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर्ता भी है एवं प्रकरण के अन्य पंचान साक्षी जालम सिंह ने भी अभियोजन मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है।

16. इस प्रकार जहां एक ओर अभियोजन के सभी साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है, मदिरा के जप्त किये जाने, मदिरा को घटनास्थल पर सीलबंद किए जाने तथा उसकी जप्ती उपरांत सुरक्षित अभिरक्षाओं की श्रखला, इन सभी बिंदुओं पर, जो की घटना के तात्विक बिंदु है, के संबंध में सभी साक्षीगण के कथन अत्यधिक विरोधाभासी एवं संदिग्ध है और इतने अधिक संदेहो से परिपूर्ण अभियोजन की अपुष्ट एवं गंभीर रूप से संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

17. आर्टिकल ''ए'' की विश्वसनीयता संदेहास्पद होने से यह संदेह से परे नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त से उक्त शराब जप्त की गयी थी। प्रकरण में राज्य न्यायलिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से प्राप्त प्रतिवदेन संलग्न है। अभियोजन द्व ारा उक्त रिपोर्ट को प्रर्शित नहीं कराया गया है। यदि तर्क के लिए उक्त रिपोर्ट को पढा भी जाए तो यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार जांच हेतु जो द्रव्य प्रेषित किया गया था, वह हाथ भट्टी की कच्ची शराब है तथा वह मानवीय सेवन हेतु अनुपयुक्त पायी गयी। द.प्र.स. की धारा 293 के अनुसार इसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। परंतु जब अभियुक्त से कथित जप्तशुदा शराब जप्त होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है तो जप्तशुदा शराब के मानवीय सेवन के अनुपयुक्त होने पर भी अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18. इसी प्रकार अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत यह मामला घोर संदेहास्पद एवं दोषपूर्ण होना युक्तियुक्त एंव समाधानप्रद रूप से स्थापित होता है। ''विधि इस संबंध में सुस्थापित है कि संदेह कितना ही प्रबल क्या न हो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता'' तथा संदेहास्पद साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि अभिलिखित किए जाने योग्य नहीं होती तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाएगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी. पार्श्वनाथ विरूद्ध कर्नाटक राज्य (2000) 8 एससीसी 593** अवलोकनीय है।

19. यह सुस्थापित विधि है कि जहां अभियोजन के साक्ष्य से दो मत निकलते हो, वहां न्यायालय को वह मत अंगीकृत करना चाहिए, जो कि अभियुक्त के पक्ष में हो और अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरेन्द्र नारायण सिंह विरूद्ध बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1991 ए.सी. 1842** तथा **देवराज एवं अन्य विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य ए.जे. आर. 1994** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

20. अतः हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य एवं उक्त संपूर्ण विवेचन से यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने

दिनांक 17.09.2022 को समय 12:10 बजे से 12:30 बजे के मध्य स्थान गल्ला मंडी मृगवास अंतर्गत थाना मृगवास में अपने आधिपत्य में बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की सफेद रंग की केन में हाथ भट्टी की 5 लीटर मानव सेवन हेतु अनुपयुक्त जहरीली शराब रखी।

—: <u>विचारणीय बिन्दु कमांक 02 पर सकारण निष्कर्ष</u> :—

21. उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा साक्ष्य विवेचन के उपरांत न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन, युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त राजू माली के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि, अभियुक्त राजू ने दिनांक 17.09.2022 को समय 12:10 बजे से 12:30 बजे के मध्य स्थान गल्ला मंडी मृगवास अंतर्गत थाना मृगवास में अपने आधिपत्य में बिना अनुमति के एक प्लास्टिक की सफेद रंग की केन में हाथ भट्टी की 5 लीटर मानव सेवन हेतु अनुपयुक्त जहरीली शराब रखे पाये गये। परिणामतः अभियुक्त राजू पुत्र कमरलाल माली को धारा 49(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अभियुक्त राजू पुत्र कमरलाल माली को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। अभियुक्त न्यायिक निरोध में है। अभियुक्त के जेल वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त को इस प्रकरण में निर्णय पारित कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर अभियुक्त को इस प्रकरण में दोषमुक्त होने से अविलंब रिहा किया जावे।

23.. अभियुक्त का धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन हेतु निरोध अवधि प्रमाण पत्र बनाया जाकर संलग्न किया जावे।

24. प्रकरण में 05 लीटर जप्तशुदा हाथ भट्टी की कच्ची शराब मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का न्यागमन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/—
(सुश्री चेतना दशोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांचौडा, जिला गुना (म.प्र.)

सही/—
(सुश्री चेतना दशोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांचौडा, जिला—गुना (म.प्र.)